# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 176/2023

दिनेश पालीवाल पुत्र श्री कैलाश पालीवाल, जाति ब्राह्मण, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान — प्रार्थी

विरूद्व

1. नोरती देवी पत्नि रंगनाथ, जाति जोगी, निवासी जोगियों का नाडा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान
2. कंवरी पत्नि हरिनाथ, जाति जोगी, निवासी जोगियों का नाडा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान
3. जगदीश कुमार नारायणी पुत्र नानकराम नारायणी, जाति सिन्धी, निवासी मकान नं. 1/30, हाउसिंग बोर्ड, मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान
4. प्रहलाद जोगी पुत्र प्रेमनाथ, जाति जोगी, निवासी बन्थली, तहसील सरवाड, जिला अजमेर, राजस्थान
5. मनभर पत्नि छगनलाल, जाति जोगी, निवासी जोगियों का नाडा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान
6. सम्पति पत्नि महावीरनाथ, जाति जोगी, निवासी जोगियों का नाडा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान
7. उप पंजीयक, पंजीयन कार्यालय किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.।

## निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री प्रतीक मेहता
वकील अप्रार्थी श्री बृजेश शर्मा

दिनांक 16.02.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जे.पी.शर्मा ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी किशनगढ का स्थायी निवासी है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की सहखातेदारी, कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि वाके ग्राम किशनगढ़–ए, पटवार हल्का किशगनढ, भू.अ.नि.क्षेत्र किशनगढ, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान में खाता संख्या नया 166, पुराना 508 के खसरा संख्या 2625 क्षेत्रफल 0.0971 हैक्टेयर (किस्म बंजर–2) अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/12 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1667/609840 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 का 9973/609840 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड अनुसार दर्ज है और प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 आपसी सहमति से उक्त भूमि का अपने अपने हिस्सा अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहें है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को इस खसरे के समीप अपने अन्य खसरा संख्या 2627/1 में आने जाने हेतु रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग करने के लिये खरीद की थी, और प्रार्थी वर्तमान तक इसी भूमि से अपने खसरा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

संख्या 2627/1 में आने जाने हेतु आवागमन में के रूप में उपयोग उपभोग कर रहा है उक्त वाद अधीन भूमि खसरा संख्या 2625 में प्रार्थी का निहित हिस्सा काश्त तथा प्रार्थी उपयोग उपभोग का है। वर्तमान में खसरा संख्या 2625 के संलग्न खसरा संख्या 1973/2 जो किशनगढ मालपुरा मुख्य रोड है का नवीनीकरण होने से इस खसरा संख्या 2625 के खातेदारों के मध्य मनमुटाव होने लगा है और कई सहखातेदार प्रार्थी को उसकी खसरा संख्या 2625 में निहित हिस्से जिसका वह वर्षों से उपयोग उपभोग कर रहा है, बाधा कारित करने की धमकियां दी जानी लगी है। सहखातेदार उक्त खसरा संख्या 2625 की भूमि पर कृषि भूमि के नियमों के विपरित बेतरतीब तरीके से व्यवसायिक निर्माण करने की धमकी देते है एवं प्रार्थी को खसरा संख्या 2625 में निहित हिस्से जिसका वह उपयोग उपभोग कर रहा है में बाधा कारित करने की धमकी देते है। खसरा संख्या 2625 के पश्चिम दिशा स्थित प्रार्थी का खसरा संख्या 2627/1, अन्य खातेदारान् के खसरा संख्या 2628/1, 2627/3, 2627/4, 2627/5 के खातेदारान् अपनी भूमि से आम रास्ते किशनगढ अरांई रोड से वादग्रस्त खसरा संख्या 2625 से आवागमन एंव उपयोग उपभोग करते चले आ रह है। अन्य सहखातेदारान् द्वारा सम्पति कृषि भूमि के मूल्य में वृद्धि होने की वजह से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के मन में खोट आ चुकी है इसलिये और ये लोग एकराय होकर प्रार्थी को उसकी कब्जे, खातेदारी व उपयोग उपभोग की भूमि को बेदखल करना चाहते है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 आये दिन प्रार्थी से उपरोक्त भूमि को हडपने के लिये लडाई झगडा करने तथा उपरोक्त भूमि को बिना विभाजन करवाये विशिष्ट भू–भाग अन्य व्यक्ति को बेचान व अन्तरण करने पर आमदा है एवं प्रार्थी को उसके हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने में व्यधान उत्पन्न करते है, जिसके लिये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को कई बार बंटवारा करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा निर्देशित भी किया, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की नियत में खोट आने की वजह से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने बंटवारा प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, इसलिये उपरोक्त वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। पैरा संख्या 1 में वर्णित उपरोक्त ग्राम किशनगढ ए स्थित खसरा संख्या 2625 की भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का राजस्व रिर्काड अनुसार जो हिस्सा अर्न्तनिहित है तथा प्रार्थी खरीद की दिनांक से अपने उक्त खसरे से खसरा संख्या 2627/1 की भूमि पर आवागमन करता है, इसी अनुसार बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 उनके नौकर, चाकर, रिश्तेदार, एजेन्ट, प्रतिनिधि, मित्रगण को इस अस्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबन्द किया जावें कि प्रार्थी के हक हिस्से में आयी कृषि भूमि के कब्जे व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रार्थी को बलात बेदखल नही करें तथा बिना विभाजन के विशिष्ट भू–भाग को अन्य व्यक्ति को बेचान, बख्शीश, रहन, या अन्तरण न करें, तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.07.2023 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। दिनांक 18.10.2023 को अप्रार्थी संख्या 02,04,06 की ओर से वकील श्री गोवर्धन नाथ जी उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से वकील श्री बृजेश शर्मा उपस्थित हुये। दिनांक 03.02.2025 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण अप्रार्थी संख्या 01, 05 का जवाब बन्द कर दिया गया।

3. वकील अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी ने खसरा नम्बर 2625 तथा 2627/1 का संयुक्त रूप से विलय कर अपने सम्पूर्ण हक हिस्से की अविभाजित कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी " गायत्री विहार " विकसित कर, राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि का अकृषिय प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 का उल्लघंन किया है तथा अन्य को " गायत्री विहार" आवासीय कॉलोनी मे अरूपान्तरित आवासीय भूखण्ड का अन्तरण किया है। प्रार्थी ने सहकाश्तकारी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 2625, 2627/1 के अपने सम्पूर्ण हक हिस्से का बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं अनुज्ञा के " गायत्री विहार " कॉलोनी विकसित कर भूखण्ड का 25 सप्रतिफल विक्रय पत्र का निष्पादन कर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

अन्तरण किया है। प्रार्थी के उक्त कृत्य से उसकी उक्त खातेदारी में अपने हक अधिकार स्वतः समाप्त होकर, सक्षम प्राधिकारी में निहित हो जाने से, वादी को उक्त प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 4 का खसरा नम्बर 2625 में प्रार्थना पत्र में हिस्सा गलत अंकित किया है जबकि राजस्व रिकॉर्ड मे अप्रार्थी संख्या 4 का हिस्सा 99973/609840 है। अप्रार्थी संख्या 4 का हिस्सा 9973/609840 अंकित कर परोक्ष रूप से राजस्व अभिलेख को चुनौती दी है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 के कथन आंशिक रूप से स्वीकार है कि उक्त आराजी सहखातेदारी व कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि है जबाब शेष कथन में लेख है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 4 का हक हिस्सा प्रार्थना पत्र मे राजस्व अभिलेख से परे जाकर गलत अंकित है। राजस्व रिकार्ड का विषय होने से प्रार्थी स्वयं साबित करे। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 के कथन पूर्णरूप से अस्वीकार है, प्रार्थी अपनी साक्ष्य से साबित करे। वास्तविकता यह है कि वादी उक्त कृषि आराजी का अकृषिय कार्य सम्पादित करके, बिना सक्षम प्राधिकारी की आज्ञा के " गायत्री विहार " नामक आवासीय कॉलोनी विकसित करके, भूखण्ड का अन्तरण किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 के कथन आंशिक रूप से स्वीकार है, कि खसरा नम्बर 2625, 1973/2 राजस्व रिकार्ड का विषय है। प्रार्थना पत्र के शेष कथन वादी स्वयं साबित करे। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 2625 में अपने सम्पूर्ण हक हिस्से का आवासीय कॉलोनी, "गायत्री विहार" नाम से भूखण्ड काटकर विक्रय किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 के कथन पूर्णरूप से अस्वीकार है, जब कि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 से 6 अपने मौखिक सहमति से, मौखिक बंटवारा करके, मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 से 6 अपने अपने हक हिस्से पर पक्की चार दीवारी निर्मित करके काबिज काश्त है। जबकि प्रार्थी द्वारा अपने सम्पूर्ण हक हिस्से पर कृषि कार्य के विपरीत अकृषिय प्रयोजन करके गायत्री विहार कॉलोनी विकसित कर आवासीय भूखण्ड का अन्तरण किया जा रहा है,प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 के कथन पूर्णरूप से अस्वीकार है, क्योंकि अप्रार्थीगण 1 से 6 ने वादी से आपसी सहमति से मौखिक बटवारा करके अपने अपने हक हिस्से, नाप चौप अनुसार पक्की चार दीवारी का निर्माण करके निकासी वास्ते अलग अलग आवागमन वास्ते लोहे के फाटक लगा रखे है उसी से अप्रार्थीगण 1 से 6 खसरा नम्बर 2625 मे अपने अपने हक हिस्से की कृषि आराजी में खसरा नम्बर 2625 मे आते जाते है। सच्चाई यह कि वादी ने अपने हक हिस्से पर गायत्री विहार आवासीय कॉलोनी विकसित कर अन्तरण विलेख में संलग्न नक्शेनुसार आवागमन का रास्ता वर्णित कर रखा है। प्रार्थी खसरा नम्बर 2625 मे अपने अपने हिस्से व अन्य खसरा नमबर 2627/1 हिस्से के आवागमन से अप्रार्थी संख्या 3 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 6 के कथन प्रार्थी की कपोल कल्पित, मनघडंत कहांनी होने से पूर्णरूप से अस्वीकार है। जबकि मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 से 6 ने आपसी सहमति से मौखिक बटवारा कर अपने अपने हक हिस्से पर पक्की चार दीवारी का निर्माण कर रखा है तो प्रार्थी के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त से उसे बेदखल करने का सवाल ही नही है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 7 के कथन आंशिक रूप से स्वीकार है, कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 से 6 के मध्य नीवं, सींव राजस्व रिकार्ड, नक्शा ट्रेस व लगान का बटवारा कर अलग से खसरा, खाता कायम किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 3 का निवेदन है कि मौके पर अप्रार्थीगण 1 से 6 व प्रार्थी के मध्य जो आपसी सहमति से मौखिक बटवारा किया जाकर नाप चौप करवाकर कृषि आराजी खसरा नम्बर 2625 में अपने अपने हक हिस्सेनुसार पक्की चार दीवारी निर्माण किया है, उसी अनुसार अगर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के मध्य विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत कर विभाजन किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 3 को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 8 के कथन पूर्णरूप से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने अपने अपने हक हिस्से पर जो आपसी सहमति से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के मध्य आराजी खसरा नम्बर 2625 मे मौखिक बटवारानुसार नाप चौप करवाकर सीमाकंन किया था, अप्रार्थीगण 1 से 6 उसीनुसार मौके पर पक्की दीवारी करवाकर काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 3 अपने हिस्से का शांतिपूर्ण एवं सतत काबिज काश्त है, प्रार्थी ने आपसी सहमति से मौखिक बटवारे में आये हिस्से पर आयी कृषि आराजी खसरा नम्बर 2625 में अकृषिय कार्य करके गायत्री विहार नामक आवासीय कॉलोनी विकसित करके भूखण्ड का अन्तरण किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 3 ने

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

कभी भी प्रार्थी के, बाद मौखिक बटवारे में आई आराजी में कोई व्यवधान उत्पन्न नही किया है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 9 के कथन आंशिक रूप से इस हद तक स्वीकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण 1 से 6 के समक्ष आराजी खसरा नम्बर 2625 की सहखातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि में अपने अपने हक हिस्सो मे मौके पर भौतिक रूप से काबिज काश्त होने के आधार पर आपसी नाप चौप कराकर अपने अपने हक हिस्से पर पक्की चार दीवारी का निर्माण करवाकर अलग अलग आवागमन हेतु फाटक लगाकर आपसी सहमति से मौखिक बटवारे का प्रस्ताव रखा था जो अप्रार्थीगण 1 से 6 ने स्वीकार कर लिया था। अप्रार्थीगण 1 से 6 उसीनुसार मौके पर काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 9 के शेष कथन पूर्णरूप से अस्वीकार है, प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 10 के कथन इस अंश तक स्वीकार है कि प्रार्थी ने खसरा नम्बर 2625 का विभाजन चाहा है। शेष कथन प्रार्थी अपने साक्ष्य से साबित करे। यदि माननीय न्यायालय प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के मध्य आपसी सहमति से जो मौखिक बटवारा मौके पर काबिज काश्त के आधार पर किया था, उसी अनुसार किया माननीय न्यायालय द्वारा विभाजन किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 3 को कोई आपत्ति नही है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी संख्या 3 उसके नौकर चाकर, रिश्तेदार, ऐजेन्ट, प्रतिनिधि एवं मित्रगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है क्योंकि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से पूर्व ही खसरा नम्बर 2625 में अपने हिस्से 1/12 एवं 2627/1 को संयुक्त रूप से विलय कर अनाधिकृत रूप से बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश से "गायत्री विहार" आवासीय कॉलोनी विकसित कर अन्य लोगो को विक्रय पत्र निष्पादन कर अन्तरण किया जा रहा है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा आवासीय कॉलोनी उपयोग उपभोग मे हस्तक्षेप करने का आरोप निराधार है। प्रार्थी प्रार्थना सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

4. दिनांक 16.02.2026 को हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का अ.धि. पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से ताईद है कि प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार काश्तकार है। प्रार्थना पत्र का धारा 212 राज. का.अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गया,

प्रथम दृष्टया प्रकरणः— वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी वर्तमान में सहखातेदार है तथा वादग्रस्त भूमि पर पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार विवाद विद्यमान है अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है।

सुविधा का संतुलनः— प्रार्थना पत्र संस्थन के समय से आदिनांक तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित है अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

अपूरणीय क्षतिः— यदि पूर्व में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश का मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक विस्तारित नहीं किया गया तो अपूरणिय क्षति प्रार्थी को कारित है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दुओं प्रार्थी के पक्ष में है अतः मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक अप्रार्थी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि ग्राम किशनगढ बी में स्थित खसरा संख्या 2625 में प्रार्थी के हक हिस्से तक की भूमि में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

C.NO. 176/2023 अनवार मिश्र V/s नोरती

03/2/26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। धारा 212 RTA पर बहस हेतु समय चाहा। अन्तिम अवसर दिया जाकर वास्ते बहस प्रार्थनापत्र धारा 212 RTA. पत्रावली दिनांक 09/2/2026 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

9/2/26 पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अत: पत्रावली [illegible] के समक्ष दि. 16/2/26 [illegible] हो।

16/2/2026 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। अप्रार्थी [illegible] का [illegible] जाता है। वकील उभयपक्ष को प्रार्थनापत्र धारा 212 RTA पर बहस सुनी गई।
प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली में शा. कि.। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] कायम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)